कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका सख्या 25520/18 पूजा सिंह बनाम सरकार में श्रीमति पूजा सिंह को राउमावि कारेण्डा तिजारा अलवर से गत चार वर्षो से कक्षा 11 एवं 12 में भूगोल विषय में छात्र संख्या शून्य होने के कारण समायोजित कर स्वंय के प्रार्थना पत्र के आधार पर राउमावि पटन रैणी अलवर लगाया गया था, न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 29/11/18 में याचिकार्थी के स्थानातंरण आदेश दिनांक 27/9/18 का कियान्वयन याचिका में आगामी सुनवाई तक स्थगित किये जाने के कारण याचिका में दिये जाने वाले आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यधीन पूजा सिंह व्याख्याता भूगोल को राउमावि कारेण्डा, अलवर को यथावत किया जाता है ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/कोके/पूजा/2018 दिनांक 21/1/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)विभाग राजस्थान जयपुर
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अलवर को पाबंद किया जाता है कि उक्त आदेश के कियान्वयन की कार्यवाही करा अवगत करावें ।
3. सहायक निदेशक, विधि प्रभाग बी–2 जयपुर माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को सूचनार्थ
4. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि कारेण्डा, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि पूजा सिंह व्याख्याता का समायोजन आदेश दिनांक 27/9/18 को किया जा कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने पर भी आप द्वारा संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त नही किया गया इस बाबत अधोहस्ताक्षरकर्ता को अपना प्रत्युत्तर पत्र प्राप्ती के तीन दिवस में प्रस्तुत करें ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, विधि, माध्यमिक शिक्षा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को राउमावि कारेण्डा तिजारा अलवर से गत चार वर्षो से कक्षा 11 एवं 12 में भूगोल विषय में छात्र संख्या शून्य होने के कारण समायोजित कर स्वंय के प्रार्थना पत्र के आधार पर राउमावि पटन रैणी अलवर लगाया गया था । प्रति संलग्न है । अतः न्यायालय से स्थगन वैकेट करवाने की कार्यवाही करावें ।
6. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ
7. निजी/रक्षित पत्रावली
8. सिस्टम एनालिस्ट कम सयुंक्त निदेशक कार्यालय हाजा को संबंधित पृष्ठांकितों को ईमेल हेतु ।

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

वित विभाग राज.जयपुर के आदेश क्रमांक–एफ 6(6) ग्रुप–2/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक– 25.04.12 के अन्तर्गत, एवं मेडिकल बोर्ड राजकीय चिकित्सालय, भरतपुर की अभिशंषा के आधार पर श्रीमती तनुजा शर्मा, व्याख्याता समाजशास्त्र, शहीद बाबूलाल मीना राउमावि एण्डवा, सवाई माधोपुर को उनके आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक 31.12.2018 से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) की दर से जो रूपये 600/–(अक्षरे रूपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नही करने की अवधि का तथा लम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नही होगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–5/विकलांग वाहन भत्ता/2017 दिनांकः 21/01/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
6. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर